"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 543]　　रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2017 —— अग्रहायण 28, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 (अग्रहायण 28, 1939)

क्रमांक-11399/वि. स./विधान/2017. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 19 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2017

वित्तीय वर्ष 2017-2018 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र.-5) अधिनियम, 2017 कहलायेगा.

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए राज्य की संचित निधि में से 2348,63,58,365 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2017 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए दो हजार तीन सौ अड़तालीस करोड़ तिरेसठ लाख अन्ठावन हजार तीन सौ पैंसठ मात्र रूपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं एवं प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	1,16,74,100	0	1,16,74,100
03	पुलिस	राजस्व	5,00,00,200	0	5,00,00,200
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	1,19,11,500	0	1,19,11,500
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,00,00,100	0	5,00,00,100
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	10,40,80,100	0	10,40,80,100
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	41,90,00,000	0	41,90,00,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,42,58,00,000	0	1,42,58,00,000
		पूंजी	75,18,00,000	0	75,18,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
17	सहकारिता	राजस्व	31,45,050	0	31,45,050
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	37,53,00,000	0	37,53,00,000
		पूंजी	6,00,00,000	0	6,00,00,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	13,00,100	0	13,00,100
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,77,50,000	0	4,77,50,000
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	400	0	400
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,56,55,000	0	5,56,55,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	8,00,000	0	8,00,000
		पूंजी	100	0	100
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	20,00,000	0	20,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	61,00,000	50,00,000	1,11,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,35,12,91,000	0	1,35,12,91,000
		पूंजी	100	0	100
34	समाज कल्याण	राजस्व	15,00,000	0	15,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,05,93,121	0	1,05,93,121
		पूंजी	25,00,000	0	25,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	3,70,54,04,946	0	3,70,54,04,946
		पूंजी	65,58,00,400	0	65,58,00,400
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल	पूंजी	100	0	100
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	300	0	300
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	200	0	200
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	6,75,00,00,000	0	6,75,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	3,48,13,76,188	0	3,48,13,76,188
		पूंजी	20,42,97,100	0	20,42,97,100
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राजस्व	3,66,00,000	0	3,66,00,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	300	0	300
		पूंजी	300	0	300
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	100	0	100
71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	2,40,00,100	0	2,40,00,100
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राजस्व	300	0	300
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	7,96,77,160	0	7,96,77,160
		पूंजी	1,11,00,00,000	0	1,11,00,00,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	2,68,20,00,000	0	2,68,20,00,000
	योग -	**राजस्व**	**20,68,69,59,465**	**50,00,000**	**20,69,19,59,465**
		पूंजी	**2,79,43,98,900**	**0**	**2,79,43,98,900**
	वृहद योग		**23,48,13,58,365**	**50,00,000**	**23,48,63,58,365**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 18 दिसम्बर, 2017

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव.
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.